न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– संतोष करोल

वाद सं. 336/2014

उनवान

1 हरदेव पि0 स्व0 भूराराम जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चोमू।
2 अर्जुनलाल पि0 स्व0 भूराराम जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चोमू।

वादीगण

बनाम

1. चोथमल पुत्र काना
2. राजू पुत्र काना
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चोमू।
3. हनुमान सहाय पुत्र नानूराम
4. रामसहाय पुत्र छीतर
5. देवीसहाय पुत्र नानूराम
6. सणगारी देवी पत्नी नानूराम
7. नन्छी पत्नी लुणाराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चोमू।
8. उपपंजियक चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चोमू, जिला जयपुर।
10. रहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा चोमू जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः– 10.07.2019

व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 11.05.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिकी की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 12.06.2018 को कुरेजात प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 12.10.2017 को प्रा0 पत्र तहत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 क्रमशः चौथमल व राजू पुत्रान काना जाट, के विरूद्ध दिनांक 30.05.2015 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही सेटएसाईड/निरस्त की जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 12.03.2018 को प्रा0 पत्र आदेश 9 नियम 7 व 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत एकपक्षीय डिक्री को निरस्त किये जाने का प्रस्तुत किया गया जिसे प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 10.07.2019 को नोटप्रेस किये जाने पर प्रा0 पत्र आदेश 9 नियम 7 व 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज किया जाता है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में उपभयपक्षकारान के अभिभाषकगणों ने तहसीलदार तहसील चोमू से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए सहमति जाहिर की गई हैं। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 11.05.2017 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1020/4020 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 02 का कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर

Scanned by CamScanner

के ग्राम चीथवाडी, पटवार हल्का चीथवाडी, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. (i) अर्जुनलाल पुत्र भूराराम हि. 1/2 = 0.0883 हैक्ट. जाति जाट सा. देह (ii) हरदेव पुत्र भूराराम हि. 1/2 = 0.0883 हैक्ट जाति जाट सा. देह को ख.न. 1019/2 रकबा 0.0966 हैक्ट., ख.नं. 1020/4020 रकबा 0.08 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1766 हैक्ट., जिसका कुल लगान 1.4128 रूपये है, जो संलग्न नजरी नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. (i) चौथमल पुत्र काना हि. 1/2 = 0.1767 हैक्ट. जाति जाट सा. देह राहिन आई.सी. आई.सी.आई. बैंक शाखा चोमू (ii) राजू पुत्र काना हि. 1/2 = 0.1767 हैक्ट. जाति जाट सा. देह राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा चोमू को ख.न. 1019/1 रकबा 0.3534 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.3534 हैक्ट., जिसका कुल लगान 2.8272 रूपये है, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

संतोष करोल
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास संतोष करोल आरएएस

1 हरेदव पि0 स्व0 भूराराम जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चोमू।
2 अर्जुनलाल पि0 स्व0 भूराराम जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चोमू।

वादीगण

बनाम

1. चोथमल पुत्र काना
2. राजू पुत्र काना
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चोमू।
3. हनुमान सहाय पुत्र नानूराम
4. रामसहाय पुत्र छीतर
5. देवीसहाय पुत्र नानूराम
6. सणगारी देवी पत्नी नानूराम
7. नन्छी पत्नी लुणाराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चोमू।
8. उपपंजियक चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चोमू, जिला जयपुर।
10. रहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा चोमू जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 336/2014

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू संतोष करोल आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. (i) अर्जुनलाल पुत्र भूराराम हि. 1/2 = 0.0883 हैक्ट. जाति जाट सा. देह (ii) हरदेव पुत्र भूराराम हि. 1/2 = 0.0883 हैक्ट जाति जाट सा. देह को ख.न. 1019/2 रकबा 0.0966 हैक्ट., ख.नं. 1020/4020 रकबा 0.08 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1766 हैक्ट., जिसका कुल लगान 1.4128 रूपये है, जो संलग्न नजरी नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. (i) चौथमल पुत्र काना हि. 1/2 = 0.1767 हैक्ट. जाति जाट सा. देह राहिन आई.सी. आई.सी.आई. बैंक शाखा चोमू (ii) राजू पुत्र काना हि. 1/2 = 0.1767 हैक्ट. जाति जाट सा. देह राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा चोमू को ख.न. 1019/1 रकबा 0.3534 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.3534 हैक्ट., जिसका कुल लगान 2.8272 रूपये है, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.07.2019 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत ......[signature]

ओहदा...........

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

[signature]

Scanned by CamScanner